बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

फार्म सी (विनियम (18) देखें) FORM C (See Regulations 18)

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

(बीमा दलाल) विनियम, 2013 (Insurance Brokers) Regulations, 2013

	लाइससं कं नवाकरणं का प्रमाणपत्र
ल	इसेंस संख्या:
Lic	इसेंस संख्या: CERTIFICATE OF RENEWAL OF LICENCE
1.	मेसर्स. पायमियर इंश्योरेस करि-इंश्योरेस श्रीकर्स प्रा. ति. श्रेणी समिम दलाल
	का लाइसेंस बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2013 की धारा 18 तथा बीमा विनियामक और विकास
	प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 4) के अधीन नवीकृत किया जाता है।
	The Licence of M/s. Proner Indurance & ReIndurance Brokes PVI Category Composite Broker is hereby renewed under section 18 of Insurance Regulatory and Development Authority (Insurance Brokers) Regulations, 2013 and Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (4 of 1999).
2.	यह लाइसेंस 94.02.2018 से 23.02.2021 तक विधिमान्य होगा। This Licence shall be valid from 24.02.2018 to 23.02.2021
3.	हैदराबाद में 13 दिन फिर्बरी दो हजार <u>अस्ति। है</u> को जारी किया गया Issued at Hyderabad on 13 th day of February Two Thousand Eighten
4	यह लाइसेंस इस शर्त के अधीन जारी किया जाता है कि आवेदक बीमा अधिनियम 1938, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम,
	1999(1999 का 4), उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों अथवा विनिर्यमों के सभी उपबंधों तथा प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी किये जानेवाले
	दिशा निर्देशों, परिपत्रों और निदेशों का पालन करेगा
	This Licence is issued subject to the condition that the applicant shall comply with all provisions of the Insurance Act, 1938, IRDA Act, 1999 (4 of 1999), the Rules and Regulations made thereunder and the Guidelines, Circulars & Directions issued by the Authority from time to time.
	स्थानः हें हर्राङ् अगदेशानुसार/By Order Place: Hydevabad

दिनांकः [3.02.2016 3-02-2016

बीमा विनियामक और विकास प्रीधिकरण के लिए और उनकी ओर से For and on behalf of Insurance Regulatory and Development Authority